पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-
बार आवाज लगाने के पश्चात भी
प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में
हाजिर नहीं आये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अदम
हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)